

**पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़,  
सेक्टर-19, ब्लाक-4, नया रायपुर**

(छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2006  
गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर  
अधिसूचना क्रमांक एफ 2-254/दो-गृह/रापुसे/2006 दिनांक 01.09.2006]  
इसके अतिरिक्त समय-समय पर भर्ती नियम के संबंध में प्राप्त आवश्यक दिशा निर्देश/सरकुलर के अनुसार

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में दूरसंचार के उप निरीक्षक (दूरसंचार) संवर्ग के पदों पर नियुक्ति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आने वाले स्थानीय निवासी पुरुष/महिला उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेब साईट [www.cgpolice.gov.in](http://www.cgpolice.gov.in) पर दिनांक 20.10.2016 से ऑन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यदि उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है, तो पुलिस दूरसंचार मुख्यालय, नया रायपुर से कार्यालयीन दिवस/समय पर प्राप्त कर सकता है।

- 01- आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि- 20.10.2016  
02- आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि- 08.11.2016 के समय 1730 बजे तक।  
03- परीक्षा स्थल- प्रथम वाहिनी छसबल भिलाई (छ.ग.)  
04- परीक्षा शुल्क- सामान्य वर्ग- 300/- (तीन सौ मात्र)  
अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर)/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति- 200/- (दो सौ मात्र)

- 01- रिक्त पदों की संख्या- घयन हेतु रिक्त पदों की संख्या तथा उनका वेतनमान नीचे दर्शाये अनुसार है। अंतिम घयन की समय वास्तविक रिक्त पदों की स्थिति को देखते हुये इस संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है :-

सक्र	पदनाम	वेतनमान (रूपये)	रिक्त पदों की वर्गवार संख्या				योग
			अनारक्षित	अजा	अजजा	अपिव(गैर-क्रीमिलेयर)	
01	उप निरीक्षक (दूरसंचार)	9300-34800 (ग्रेड वेतन-4200)	9	2	6	3	20

- 02- आरक्षण- भर्ती में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर आरक्षण संबंधी जारी नियम लागू होंगे।  
03- वेतनमान- रूपये 9300-34800 (ग्रेड वेतन-4200) एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत देय भत्ते।  
04- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।  
05- 1- आयु-सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु 01 जनवरी 2017 को 18 वर्ष के कम और 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए।  
2- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग(गैर-क्रीमिलेयर) के उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा में 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।  
3- इसके अतिरिक्त शासन के निर्देश अनुसार छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक/नगर सैनिक/विक्रम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों तथा विधवा, परित्यक्ता एवं तकालशुद्ध महिला अभ्यर्थियों को भी उच्चतर आयु सीमा में भी नियमानुसार छूट प्रदान की जावेगी।  
06- शारीरिक अर्हता- अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित शारीरिक अर्हता होना आवश्यक है।  
(क) ऊँचाई - 168 सेमी या उससे अधिक (पुरुष अभ्यर्थी के लिये)  
153 सेमी या उससे अधिक (महिला अभ्यर्थी के लिये)  
(ख) सीना- बिना फुलाये 81 सेमी, फुलाने पर 86 सेमी  
(अभ्यर्थी का सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में कम से कम 05 सेमी का अंतर होना आवश्यक है। इस विषय पर किसी प्रकार की छूट नहीं दी जावेगी।)  
(महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता से मुक्त होंगी)  
(ग) अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अंपग नहीं होना चाहिये।

नोट:- अभ्यर्थी को शारीरिक रूप से अपंग, नॉकनी, फ्लेट फुट नहीं होना चाहिए। उम्मीदवार को आँखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। आँखों की दृष्टि बिना चश्मे के एक आँख से 6/6 तथा दूसरी आँख की बिना चश्मे के 6/9 से कम नहीं होना चाहिए। मुख्य रंगों में भेद करने में उम्मीदवार को समक्ष होना चाहिए। शारीरिक मापदण्ड के संबंध में फूट का कोई प्रावधान नहीं होगा। ऊँचाई एवं सीने के नापतौल में इकाई प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा।

- 07- **शैक्षणिक योग्यता-** शासन द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय एवं संस्था से इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रानिक/टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में तीन वर्ष का डिप्लोमा।  
नोट:- निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को अवश्य होना चाहिए।
- 08- **बोनस अंक-** अभ्यर्थी को नीचे लिखे उल्लेखित शीर्ष को विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 10 अंक निर्धारित है। किन्तु विशेष योग्यता के बोनस अंक कुल मिलाकर 20 से अधिक नहीं होंगे। अर्थात् दो से अधिक विशेष योग्यता होने पर भी अधिकतम बोनस अंक 20 ही होंगे।  
(क) एन0सी0सी0 "सी" प्रमाण पत्र  
(ख) इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिकल्स/दूरसंचार में इंजीनियरिंग उपाधि।
- 09- **चयन प्रक्रिया-** चयन प्रक्रिया विभिन्न चरणों में संपादित की जावेगी, जिसमें शारीरिक नापतौल, लिखित परीक्षा, मुख्यलिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार सम्मिलित है।

नोट:-

- 1- विस्तृत शर्तें, आयु संबंधी प्रावधान, शैक्षणिक योग्यता व परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2006 गृह (पुलिस) विभाग मंत्रालय, डाऊ कल्याण सिंह भवन, मंत्रालय रायपुर अधिसूचना क्रमांक एफ 2-254/वो-गृह/रापुरे./2006 दिनांक 01.09.2006 में है।
- 2- फार्म भरने की अंतिम तिथि के समय 1730 बजे के पश्चात् प्राप्त फार्म पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 3- भर्ती नियम, प्रस्तावित भर्ती कार्यक्रम एवं अन्य विवरण का अवलोकन विभागीय वेब साईट [www.cgpolice.gov.in](http://www.cgpolice.gov.in) पर किया जा सकता है। भर्ती संबंधी समस्या के निराकरण हेतु पुलिस दूरसंचार कंट्रोल रूम भिलाई के मोबाईल क्रमांक 094791 90171 पर एवं चिप्स रायपुर के दूरभाष क्रमांक 0771-4000744 तथा पुलिस दूरसंचार मुख्यालय, नया रायपुर का दूरभाष 0771-2331920 में कार्यालयीन समय पर संपर्क किया जा सकता है।

  
17.10.16

उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार)  
हेतु-पुलिस महानिदेशक  
छत्तीसगढ़ रायपुर